कार्यालय कलेक्टर (नजूल शाखा) जिला–बेमेतरा

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

कमांक /प्र./नजूल/2019/1430 बेमेतरा दिनांक 16.11.19

नगरीय क्षेत्रों मे प्रदत्त स्थाई पट्टों का भूमिस्वामि हक प्रदान किया जाना

छ.ग. शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों मे प्रदत्त शासकीय स्थाई पट्टों को भूमिस्वामि हक मे परिवर्तित करने के संबंध मे प्रावधान किये है । गैर रियायत दर पर शासकीय स्थाई पट्टों के पट्टेदार अपनी पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध मे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी ।

यदि रियायती स्थाई पट्टों के पट्टेदार उन्हें प्रदत्त पट्टे की भूमि को भूमिस्वामी हक मे परिवर्तित कराना चाहते है, तो उन्हें प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 102 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी ।

यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र मे स्थित शासकीय भूमि के आवंटन भूमिस्वामी हक मे प्राप्त करना चाहता है, तो भूमि आवंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के बराबर प्रव्याजी के अतिरिक्त बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि भी देय होगी । इस प्रकार उस व्यक्ति को 102 प्रतिशत राशि देय होगी ।

यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र मे स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमिस्वामी हक मे भूमि प्राप्त करना चाहता है, तो भूमि आवंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के 152 प्रतिशत राशि देय होगी ।

अतएव नगरीय क्षेत्र मे निवासरत् स्थाई पट्टाधारी व्यक्ति, स्थाई पट्टे पर प्राप्त भूमि को भूमिस्वामी हक प्राप्त करने का इच्छूक हो तो, नियम निर्देशों का अवलोकन कर जिला कार्यालय नजूल शाखा बेमेतरा मे आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.कमांक 1431/भू.अभि/स्थापना/2019 बेमेतरा दिनांक ~~.08.19~~ 16.11.19

प्रतिलिपि :–

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला कार्यालय बेमेतरा की ओर उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को जिला बेमेतरा के वेब–साईट https://bemetara.gov.in/ मे अवलोकन हेतु अपलोड किया जाने हेतु ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)